न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
13.12.23	वकील वादी की ओर से प्रतिवादीगण संख्या 5, 7 ता 10 की तामील मय डाक रसीद व डाक विभाग की ट्रैकिंग रिपोर्ट के साथ प्रार्थना पत्र बाबत शीघ्र सुनवाई का पेश कर उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील वादी को सुना जाकर प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई को न्यायहित में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने पर प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई स्वीकार किया जाता है तथा पत्रावली को आगामी पेशी 31.01.2024 से पूर्व सुनवाई की जाने हेतु दिनांक 18.12.2023 नियत की जाती है। इस बाबत पक्षकारान व वकील प्रतिवादीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 18.12.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर	
18.12.23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील वादी की ओर से प्रतिवादीगण संख्या 5, 7 ता 10 की सम्यक तामिल करवाये काफी समय हो चुका है, बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 19.12.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर	
19-12-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26-12-23 को पेश हो।	
26-12-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 03-1-24 को पेश हो।	
03.01.24	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। तथा वकील वादी के निवेदन पर प्रकरण बंटवारा से ... तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रारम्भिक डिक्री की ... हो जाने, जिस पर वकुलाय उभय पक्षकारान की सहमति ... कर दिये जाने जाने से अंतिम बहस सुनी जाकर वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत् घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। 03/01/24 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:21:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना(राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक(अन्तिम डिक्री)
208 / 2017	2017 / 00363	03.07.2015	03.01.2024

उनवान प्रकरण

1. बोदू पुत्र ईश्वर आयु 62 वर्ष
2. रामपाल पुत्र ईश्वर आयु 58 वर्ष

जाति यादव निवासीगण ढाणी गंगासागर तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

—— वादीगण——

बनाम्

1. ग्यारसा पुत्र ईश्वर आयु 58 वर्ष
2. जगदीश पुत्र स्व. मंशा आयु 50 वर्ष
3. बाबूलाल पुत्र स्व. मंशा आयु 47 वर्ष
4. कालू पुत्र स्व. मंशा आयु 42 वर्ष
5. श्रवणी पुत्री स्व. मंशा आयु 40 वर्ष
6. गोठी पत्नि स्व. मंशा आयु 68 वर्ष

जाति यादव निवासीगण ढाणी गंगासागर तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

7. पटवारी हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
8. सब रजिस्ट्रार अजीतगढ़ जिला सीकर
9. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर
10. शाखा प्रबंधक, शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

—— प्रतिवादीगण ——

उपस्थित:–

Signature Not Verified

श्री कमलेश कुमार शर्मा–I , एड0 वादीगण अभिभाषक।

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:21:43 IST
Reason: SelfAttested

श्री दिनेश कुमार सिंह शेखावत, एड0 प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 अभिभाषक।

छावा बाबत घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

(अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(द्वितीय प्रकरण)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक(अन्तिम डिक्री)
605 / 2017	2017 / 00334	04.11.2015	03.01.2024

उनवान प्रकरण

1. ग्यारसा पुत्र ईश्वर आयु 58 वर्ष
   जाति यादव निवासीगण ढाणी गंगासागर तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

—— वादी——

बनाम्

1. बोदू पुत्र ईश्वर आयु 62 वर्ष
2. रामपाल पुत्र ईश्वर आयु 58 वर्ष
3. जगदीश पुत्र स्व. मंशा आयु 50 वर्ष
4. बाबूलाल पुत्र स्व. मंशा आयु 47 वर्ष
5. कालू पुत्र स्व. मंशा आयु 42 वर्ष
   जाति यादव निवासीगण ढाणी गंगासागर तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
6. पटवारी हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
7. सब रजिस्ट्रार अजीतगढ़ जिला सीकर
8. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर
9. शाखा प्रबंधक, शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

—— प्रतिवादीगण ——

उपस्थितः—

श्री दिनेश कुमार सिंह शेखावत, एड0 वादी अभिभाषक।

श्री कमलेश कुमार शर्मा— I, एड0 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ... ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:21:43 IST
Reason: SelfAttested

दावाबाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

(अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

03/01/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

—:: निर्णय ::—

नोट :— इस न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण प्रथम दृष्टया मुकदमा संख्या 208/2017 बी0टी0नं0 2017/00363 उनवानी प्रकरण बोदू बनाम ग्यारसा वगै0 द्वितीय मुकदमा संख्या 605/2017बी0टी0नं0 2017/00334उनवानी प्रकरण ग्यारसा बनाम बोदू वगै0, दोनों प्रकरण एक ही वादग्रस्त आराजी भूमियां अवस्थितढ़ाणी तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान से संबंधित होने से दोनों प्रकरणों को न्यायालय आदेश दिनांक 16.11.2022 को कन्सोलिडेटेड (संयोजित) किया जाकर दोनों प्रकरणों में एक साथ ही निर्णय पारित किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनो पत्रावलियां में संलग्न की जावें।

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वकील वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2988 रकबा 4.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 3000 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 3001 रकबा 6.69 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 6.69 हैक्टर तन् ग्राम दिवराला पटवार हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसकी खातेदारी वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 6 के मृत्तक पिता/पति मंशा के नाम अंकित हैं अर्थात् इन चारों भाईयों का 1/4, 1/4 हक हिस्सा है। मंशा का स्वर्गवास हो चुका है। जिसके वारिस प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 6 है। सजरा खानदान अनुसार ईश्वर के चार पुत्र मंशा, बोदू, ग्यारसा, रामपाल हुये जिनमें मंशा फौत हो चुका है तथा मंशा के वारिस प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 6 है। उक्त वर्णित भूमियों का वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 6 के पिता/पति ने अपनी भूमियों का मौके पर बाह्मी विभाजन कदीम कर रखा है तथा विभाजन के अनुसार संलग्न नजरी नक्शें अनुसार उक्त खसरा नम्बर 3001 के आसपुरा अजीतगढ़ रास्ता के सहारे–सहारे उत्तर–दक्षिण बराबर–बराबर लम्बाई वाली भूमि वादी नम्बर 2 रामपाल के हक हिस्से में एवं वादी नम्बर 2 रामपाल के सटाकर उत्तर–दक्षिण बराबर–बराबर लम्बाई वाली भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 ग्यारसा के हिस्से में एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ग्यारसा से सटाकर उत्तर–दक्षिण बराबर–बराबर लम्बाई वाली भूमि प्रतिवादी नम्बर 2 ता 6 के पिता मंशा के हक हिस्से में आयी हुयी थी। इसी प्रकार खसरा नम्बर 2988 में उत्तर–दक्षिण लम्बाई में विद्यमान रास्ता छोड़कर पूर्व–पश्चिम लम्बाई वाली भूमि जो आसपुरा अजीतगढ़ रास्ते पर स्थित है, वादी नम्बर 2 रामपाल के हक हिस्से में एवं वादी नम्बर 2 रामपाल के सटाकर पूर्वी–पश्चिम लम्बाई वाली भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 ग्यारसा के हिस्से में एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ग्यारसा से सटाकर पूर्वी–पश्चिम लम्बाई वाली भूमि वादी नम्बर 1 बोदू के हक हिस्से में आयी हुयी थी एवं वादी नम्बर [illegible] से सटाकर पूर्वी–पश्चिम लम्बाई वाली भूमि प्रतिवादी नम्बर 2 ता 6 के [illegible] हक हिस्से में आयी हुयी थी तथा कुआं खसरा नम्बर 3000 चारों भाईयों वादीगण एवं प्रति[illegible] 1 व प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 6 के मृत्तक पिता/पति मंशा का शामलाती रहा था। वादी नम्बर 1 बोदू ने अपने हिस्से में आयी भूमि में मकानात निर्माणात के लिए पत्थर [illegible]रह डाल रखे है व वादी नम्बर 2 रामपाल ने खसरा नम्बर 2988 में पुख्ता मकानात (हवेली) बना रखे है। प्रतिवादी नम्बर 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:21:43 IST
Reason: SelfAttested

02/01/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
(नीमकाथाना)

ग्यारसा ने खसरा नम्बर 2988 में पुख्ता मकानात (हवेली) बना रखे है तथा मंशा का पुत्र कालू ने हिस्से खसरा नम्बर 3001 में पुख्ता मकानात बना रखे है। वादीगण उक्तानुसार ही उक्त वादग्रस्त भूमि पर मौके पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा इसी बंटवारे के अनुसार वादीगण अपने हक हिस्से व अधिकार में आयी हुयी भूमि की उद्घोषणा मुताबिक बाह्मी बंटवारे अनुसार करवाने के कानूनन अधिकारी है। पक्षकारान के बाह्मी बंटवारे के अनुसार हक अधिकार व हिस्से में आयी हुयीभूमि को संलग्न नजरी नक्शें में दर्शित किया गया है। वादीगण अपने हक हिस्से व अधिकार में आयी अपनी भूमियों में अलग से सींवनींव कायम कर अलग से सीमाओं से सुरक्षित कर रखा है। मौके पर अपनी हक हिस्से व अधिकार की भूमियां जो काफी उबड़ खाबड़ टीलेनुमा थी। उसको वर्तमान स्वरूप में कई लाखों रूपये खर्च कर उन्नत एवं उपजाऊ व विकसित किया है तथा उक्त अपनी भूमियों की खातेदारी भी राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण अपने नाम अलग से दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी हैं। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की बंटवारे के अनुसार खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के अलग से नाम दर्ज नहीं हुयी है तथा ना ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेश में अलग से अंकन हुआ है। इसके अभाव में वादीगण अपनी भूमियों का जो एक खातेदार काश्तकार को सुविधायें उपलब्ध होती है उनको प्राप्त करने के लिए वंचित हो रहे है तथा अपनी भूमियों का समुचित विकास करने में कठिनाईयां आ रही है। इसलिए खातेदारी अलग दर्ज कराया जाना आवश्यक है। दिनांक 25.06.2015 तक वादीगण द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 को जोर देकर उपरोक्त वर्णित भूमियों में वादीगण के बाह्मी बंटवारे अनुसार अपने हक हिस्से व अधिकार की भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम करने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण भड़क गये तथा कहा कि हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। कभी भी मौका पाकर बाह्मी बंटवारा भंग कर वादीगण की भूमियों की सीमाओं को तोड़फोड़ करके दीगर लोगों को वादीगण की भूमियों को दिखाकर भूमाफिया लोगों को संयुक्त रिकॉर्ड की आड़ में बैचान करने की धमकी दी तथा बंटवारा कराने से इन्कार हो गये। इसलिए वादकारण उत्पन्न होकर दावा दायर करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 बिना बंटवारा कराये उपरोक्त वर्णित भूमियों को दीगर भूमाफियावृति के लोगों को बेचान करने पर आमादा हो रहे है बाह्मी बंटवारा भंगकर वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है तथा कहने सुनने से मान नहीं रहे है तथा धमकी दे रहे हैं कि हम भूमि को अकृषि भूमि में बदलेगें एवं दीगर भूमाफियावृति के लोगों को विक्रय करेगे। यदि प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 ने उक्त भूमि में निर्माण कर लिया या दीगर भूमाफियावृति के लोगों को अन्तरण कर दिया या किसी अन्य प्रकार से इकरारनामा, दानलेख आदि से अन्तरित कर दिया तो वादीगण के भूमि मुतनाजा में निहित विधिक हक हकूक गंभीर रूप से प्रभावित होगें। वादीगण अपने हिस्से की भूमियों से बेजा तौर पर महरूम हो जावेगी। अनावश्यक रूप से मुकदमेंबाजी बढ़ेगी, जिससे वादीगण को इस कदर क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। इसलिए प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 की उक्त गलत, अवैध एवं मनमाने रूप से की जा रही कार्यवाही को वादीगण जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के कानूनी अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण को न्यायहित में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2988 रकबा 4.90 हैक्टर, खसरा नम्बर 3000 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 3001 रकबा 6.69 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 6.69 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम दिवराला पटवार हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में से वादीगण एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 व प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:21:43 IST
Reason: SelfAttested

02/01/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

नम्बर 2 ता 6 को बाहमी बंटवारे के अनुसार एवं संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार काबिज काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार अलग–अलग बट्टा नम्बर डालकर अलग–अलग राजस्व रिकॉर्ड बनाया जाकर अलग–अलग लगान कायम किया जावे तथा नक्शे में तरमीम करवाया जावे तथा जिस पक्षकार ने बैंक से रहन रखा है उसका रहन उसके उपरोक्तानुसार हक हिस्से में आयी हुयी भूमि पर रखा जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नम्बर 5, 7 ता 10 की तामिल जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक से करवाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व 6 की ओर अधिवक्ता श्री दिनेश सिंह शेखावत एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया, जो शामिल पत्रावली रहा। वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 व 6 की ओर से आदेशिका पर हस्ताक्षर कर सहमति व्यक्ति करते हुये वादग्रस्त आराजी भूमियों का वादीगण एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार विधिक विभाजन कराया जाकर अलग बट्टा नम्बर डालकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 का राजस्व रिकार्ड अलग बनाया जाकर अलग से लगान कायम करते हुये अलग–अलग सींव कायम कर नक्शे में तरमीम करवाये जाने हेतु विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मंगवाये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रकरण में वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण की प्रारम्भिक डिक्री किये जाने हेतु सहमति प्रदान कर दिये जाने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही पक्षकारान के मौके पर हक हिस्से एवं कब्जे काश्त के अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मंगवाये जाने हेतु दिनांक 18.01.2023 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/प–51/2008/विविध/10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक भू.अ./23/1516 दिनांक 25.08.2023 द्वारा पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष पेश की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की गई। वकील वादीगण ने प्रकरण के बटवारा से संबंधित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान ने अपनी सहमति जाहिर की।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस बहुपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय ... बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राज... अंतिम चौसला जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार वादप... भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण दर्ज रिकॉर्डेड खातेदा... रिकार्ड है। इस आधार पर वादीगण काश्तकारी अधिनियम–1955 के अन्तर्गत धा...53 बंटवारा की हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान अपने–अपने हक हिस्से का विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:21:43 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
02/01/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

अन्तर्गत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के प्रावधानों के अधीन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से पक्षकारानद्वारा अपनी सहमति जाहिर की है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

––::क्रियात्मक आदेश ::––

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के मध्य हुये बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 25.08.2023 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है :–

जमाबंदी के अनुसार खाते की स्थिति :–

क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा (है0)	किस्म	लगान
1.	523	1. कालूराम पुत्र मंशा हि0 1/12 2. ग्यारसा पुत्र ईश्वर हि0 1/4 3. जगदीश पुत्र मंशा हि0 1/12 4. बाबूलाल पुत्र मंशा हि0 1/12 5. बोदू पुत्र ईश्वर हि0 1/4 6. रामपाल पुत्र ईश्वर हि0 1/4 जाति समस्त अहीर सा0 देह खातेदार	2988 3000 कुआं 3001	4.90 0.03 1.76	बारानी 3 बारानी3 बारानी 3	9.11 0.06 3.27
		योग	किता–3	6.69	–	12.44

मौके के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव :–

क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा (है0)	किस्म	लगान
1.	523	ग्यारसा पुत्र ईश्वर हि0 पूर्ण जाति [illegible] सा0 देह खातेदार	2988/1	0.500	बारानी 3	1.00
			2988/3	0.4702	बारानी 3	1.00
			2988/4	0.4702	बारानी 3	1.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:21:43 IST
Reason: SelfAttested

07/01/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

			3001 / 3	0.1900	बारानी 3	0.44
		योग	किता–4	1.6305	–	3.44
2.	523	रामपाल पुत्र ईश्वर हि0 पूर्ण जाति अहीर सा0 देह खातेदार	2988 / 2	0.500	बारानी 3	1.00
			2988 / 5	0.4702	बारानी 3	1.00
			2988 / 6	0.4702	बारानी 3	1.00
			3001 / 4	0.1900	बारानी 3	0.45
		योग	किता–4	1.6305	–	3.45
3.	523	बोदू पुत्र ईश्वर हि0 पूर्ण जाति अहीर सा0 देह खातेदार नोट :– बोदू पुत्र ईश्वर फौत हो चुका है। उपस्थित मौतविरानों द्वारा इनके निम्नांकित वारिसान बताये गये– भैरूराम, मंगलचन्द, बाबूलाल, मुकेश पुत्रगण बोदू, प्रेमदेवी पुत्री बोदूराम, श्रवणी देवी पत्नि स्व. बोदू।	2988 / 7	0.9405	बारानी 3	2.00
			3001 / 1	0.5000	बारानी 3	0.50
			3001 / 5	0.1900	बारानी 3	0.19
		योग	किता–3	1.6305	–	2.69
4.	523	जगदीश, बाबूलाल, कालू पुत्रगण मंशा, श्रवणी पुत्री मंशा, गोठी पत्नि स्व. मंशा जाति अहीर सा0 देह खातेदार ब.हि.ब. नोट :– खातेदार जगदीश पुत्र मंशा एवं गोठी पत्नी मंशा फौत हो चुके है। उपस्थित मौतविरानों ने जगदीश पुत्र मंशा के निम्नांकित वारिसान होना बताया – विजय, पुरण पुत्रगण जगदीश, संतोष, धोली पुत्रियां जगदीश, पतासी पत्नी स्व. जगदीश।	2988 / 8	0.9405	बारानी 3	2.00
			3001 / 2	0.5000	बारानी 3	0.50
			3001 / 6	0.1900	बारानी 3	0.19
		योग	किता–3	1.6305	–	2.69
5.	523	कालूराम पुत्र मंशा हि0 1/12 ग्यारसा पुत्र ईश्वर हि0 1/4 जगदीश पुत्र मंशा हि0 1/12 बाबूलाल पुत्र मंशा हि0 1/12 बोदू पुत्र ईश्वर हि0 1/4	3000 [illegible]	0.03	बारानी 3	0.06

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Rathore
03/01/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:21:43 IST
Reason: SelfAttested

		रामपाल पुत्र ईश्वर हि0 1/4 जाति समस्त अहीर सा0 देह खातेदार नोट :– खातेदार जगदीश पुत्र मंशा, बोदू पुत्र ईश्वर फौत हो चुके है। जिनके वारिसान की जानकारी उपरोक्त वर्णित विभाजित खातों मे की जा चुकी है।	2988/9	0.1380	बारानी 3	0.11
		योग	किता–2	0.1680	–	0.17

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक भू.अ./23/1516 दिनांक 25.08.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Rathore 03/01/24

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 03.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rathore 03/01/24

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:21:43 IST
Reason: SelfAttested